न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, मुंगेर

जिला– मुंगेर (बिहार)

उपस्थित :– **राकेश कुमार सिंह,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मुंगेर।

निर्णय की तिथि :– 02वीं जून, 2026

S.T. Case No. 139/2024

[CIS NO.- 139/2024]

(Arising out of Kotwali P.S. Case No. 461/2023)

परिवादी/सूचक	**निलेश कुमार उर्फ कारू पे0 योगेन्द्र प्रसाद यादव** सा0 – लाल दरवाजा सेवा सदन, रोड, थाना–कोतवाली, जिला–मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रामसेवक मंडल, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	**1. मो0 महताब,** उम्र–30 वर्ष, पे0–मो0 निजाम। साकिन– हजरतगंज खानका, थाना–कासिम बाजार, जिला–मुंगेर। **2. मो0 शहबाज उर्फ मो0 चुलहा उर्फ छोटू उर्फ चुल्हा,** उम्र– 30 वर्ष, पे0 मो0 जोहर आलम उर्फ मुन्ना मिस्त्री। साकिन– दिलवारपुर पूरबसराय, थाना–कोतवाली, जिला–मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राकेश कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

Date of offense	**02-10-2023**
Date of FIR	**02-10-2023**
Date of Charge sheet	**21-02-2024**
Date of Framing of Charges	**15-04-2024**
Date of commencement of evidence	**30-04-2024**
Date on which judgment is reserved	**18-05-2026**
Date of the Judgment	**02-06-2026**
Date of the Sentencing order, if any	.....

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मुंगेर

02/06/26

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of the Accused persons	Date of Arrest/ Surrender	Date of Release on Bail	Offenses Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention undergone during Trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
1.	मो0 महताब	05-01-2024	30-04-2024	Section 307, 427 /34 of IPC and 27(i) of Arms Act.	अभियुक्त को रिहा किया गया	लागू नहीं। क्यो कि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया।	धारा 428 द0प्र0स0 लागू नहीं क्योंकि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया
2.	मो0 शहबाज उर्फ मो0 चुलहा उर्फ छोटू उर्फ चुल्हा	30-01-2024	In Custody	Section 307, 427/34 of IPC and 27(i) of Arms Act.	अभियुक्त को रिहा किया गया	लागू नहीं। क्यो कि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया।	धारा 428 द0प्र0स0 लागू नहीं क्योंकि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया

निर्णय

1. अभियुक्तगण **मो0 महताब एवं मो0 शहबाज उर्फ मो0 चुलहा उर्फ छोटू उर्फ चुल्हा** के विरूद्ध **धारा 307, 427/34 भा0द0वि0 एवं 27(1) शस्त्र अधिनियम** के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया तथा अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़ कर सुनाया समझाया गया, जिस पर वे अपने उपर लगाये गये आरोंपो से इनकार किये तथा विचारण का दावा किये।

2. अभियोजन का वाद सूचक निलेश कुमार उर्फ कारू कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि 02.10.2023 को 03:00 बजे दिन में मो0 चुल्हा और उसके साथी नीरज कुमार की दुकान पर आकर सिगरेट मांगा तथा कुर्सी मांगा। कुर्सी टूटा होने के कारण नहीं दिया, तो वह नीरज को मारने के लिए दौड़ा तथा जान मारने की धमकी दिया। सूचक का दुकान भी नीरज की दुकान के बगल में है। सूचक विरोध किया, तो सूचक पर भी हाथ चलाया तथा धमकी देकर भाग गया। फिर 06:15 बजे शाम में मो0 चुल्हा अपने तीन साथियों के साथ आया और फायर करने लगा, नीरज की दुकान को लूटपाट करने लगा। सूचक के विरोध करने पर सूचक पर मो0 चुल्हा गोली चलाया, जो सूचक की कनपटी से निकल गया तथा दो अन्य फायर किया। सूचक की दुकान के दो टोटा उलटकर क्षतिग्रस्त कर दिया इसी कारण प्राथमिकी दर्ज हुई। सूचक के लिखित बयान के आधार

पर कोतवाली थाना कांड सं0 461/2023 दिनांक 02.10.2023 धारा 307, 427, 34 भा0द0वि0 तथा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी। अनुसंधान के उपरान्त उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध **आरोप पत्र संख्या–170/2024** दिनांक 21.02.2024 को समर्पित किया गया, तदोपरान्त विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा अपराध का धारा धारा 307, 427, 34 भा0द0वि0 तथा 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया।

3. अभियोजन की ओर से इस वाद में निम्नलिखित साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है :–

साक्षी सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार	अभ्युक्ति
1.	कृष्णा प्रसाद यादव	अन्य साक्षी	
2.	गुड़िया देवी	अन्य साक्षी	
3.	ठाकुर प्रसाद यादव	अन्य साक्षी	
4.	निलेश कुमार उर्फ कारू	सूचक	

अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

क0 सं0	प्रदर्श	विवरण	अभ्युक्ति
1.	**प्रदर्श पी–1**	लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर।	
2.	**प्रदर्श पी–2**	जप्ती सूची पर सूचक का हस्ताक्षर।	

4. **बचाव पक्ष कि ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।**

5. अभियुक्तगण का धारा 313 द0प्र0स0 के अन्तर्गत बयान **दिनांक 28.04.2026** को दर्ज कराया गया जिस पर इस अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध साक्ष्यों से इनकार किये तथा अपने को निर्दोष बताया।

6. क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्त–युक्त संदेहो से परे सिद्ध करने में सफल हुए है ?

मन्तव्य

7. इस वाद में अभियोजन पक्ष कि ओर से कुल चार साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। **अभियोजन साक्षी सं0–1 कृष्णा प्रसाद यादव, अभियोजन साक्षी सं0 2 गुड़िया देवी एवं अभियोजन साक्षी सं0 3 ठाकुर प्रसाद यादव** ने मुख्यपरीक्षण में घटना का समर्थन नही किया है। अभियोजन के निवेदन पर इन तीनों साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इन तीनों साक्षियों ने अपने–अपने प्रतिपरीक्षण मे ऐसी कोई बात नहीं कही है, जिससे अभियोजन पक्ष को कोई बल मिलता हो। **अभियोजन साक्षी सं0 4 निलेश कुमार उर्फ कारू** ने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का समर्थन तो किया है, परंतु अभियुक्तगण की पहचान नहीं की है, जबकि सूचक के द्वारा अपने लिखित आवेदन एवं जप्ती सूची को प्रदर्श अंकित कराया गया है। इस साक्षी को भी अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में स्पष्ट रूप से कहा है कि झगड़ा वाली जगह पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गया था, गोली किसने चलाया, मुझे नहीं पता और आज तक पता नहीं चला।

8. अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह घटना पी0डब्ल्यू 4 निलेश कुमार उर्फ कारू सूचक के आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें कथन है कि दिनांक 02.10.2023 को अभियुक्तगण सूचक तथा नीरज की दुकान पर आकर मारपीट करने तथा गोली फायर करने का आरोप लगाया गया है। इसी आशय का कोतवाली थाना कांड सं0 461/2023 धारा 307, 427, 34 भा0द0वि0 तथा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत मो0 चुल्हा एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी। वाद विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा सूचक सहित कुल चार साक्षियों को अपने केस के समर्थन में प्रस्तुत किया गया, जबकि अभियुक्तगण की ओर से अपने केस के समर्थन में कोई भी मौखिक साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

02/06/26

9. साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि सूचक सहित अन्य किसी भी अभियोजन साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के द्वारा वाद के महत्वपूर्ण साक्षी वाद के अनुसंधानकर्ता को भी साक्ष्य हेतु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही जप्ती सूची के किसी साक्षी का साक्ष्य कराया गया है। चूंकि घटनास्थल सार्वजनिक स्थल

दुकान है, तो वहां पर अन्य लोग उपस्थित होंगे, परंतु अभियोजन पक्ष के द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नही कराया गया है।

10. उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि वाद के किसी भी साक्षी ने अभियुक्तों की संलिप्तता का कथन नहीं किया है और न ही कोई साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। इस वाद के सूचक ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के द्वारा अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं कराया गया है, जबकि यह साक्षी वाद के महत्वपूर्ण साक्षी थे। वाद के एक और पीड़ित नीरज कुमार का भी साक्ष्य अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है। वाद में उपस्थित किसी भी साक्षी ने घटना होते हुए नहीं देखा।

11. उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 307, 427, 34 भा0द0वि0 तथा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो कि अभियुक्तगण के द्वारा सूचक तथा नीरज के साथ मारपीट की गयी हो। अभियोजन धारा 307, 427, 34 भा0द0वि0 तथा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप को संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं।

आदेश

12. अतः इस वाद के उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण **मो0 महताब एवं मो0 शहबाज उर्फ मो0 चुलहा उर्फ छोटू उर्फ चुल्हा** को **धारा 307, 427, 34 भा0द0वि0 तथा 27 शस्त्र अधिनियम** के अन्तर्गत निर्दोष पाते हुए सभी आरोपों से बरी किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है। एक अभियुक्त मो0 चुलहा उर्फ छोटू उर्फ चुल्हा कारा में संसीमित है। अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त मो0 चुलहा उर्फ छोटू उर्फ चुल्हा के विरुद्ध मुक्ति आदेश तत्काल निर्गत करें।

Dictated & Corrected by me and pronounced in open court in presence of both side signed and sealed on 02th day of June, 2026.

लेखापित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित

Rakesh Kumar Singh 02/06/26
(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मुंगेर।
02.06.2026

Rakesh Kumar Singh 02/06/26
(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मुंगेर।
02.06.2026